

कार्यालय अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल (म०प्र०)

कार्यालय दूरभाष नं. : 07652243001

ई-मेल: deansahdol@gmail.com

क्रमांक/छात्र शाखा/पैरामेडिकल/एम.सी./2026/2470 शहडोल, दिनांक : 13.05./2026

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु विज्ञापन

कार्यालय, रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् के पत्र क्रमांक/740(12) A /कालेज/ AI25G0074/760/2026 भोपाल की अनुमति दिनांक 06.05.2026 के अनुक्रम में बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल (म०प्र०) में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिये विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

I. पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण तिथियां :-

आवेदन प्रारम्भ की तिथि	14.05.2026
आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	25.05.2026
काउंसिलिंग एवं प्रवेश की तिथि	28.05.2026 (दस्तावेज सत्यापन) एवं 29.05.2026 (सीट आवंटन)
काउंसिलिंग स्थल	कैफेटेरिया, रिसेप्शन-2 ग्राउण्ड फ्लोर

II. पाठ्यक्रम अवधि एवं उपलब्ध सीटों का विवरण :-

क्रं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम	प्रशिक्षण अवधि	कुल सीट
1.	O.T. TECHNICIAN	(CERTIFICATE)	01 वर्ष	50

- इस सूची में संशोधन के लिए संस्थान के पास अधिकार है।
- सीटों का आरक्षण/ आवंटन म.प्र. शासन के नियमानुसार होगा।
- प्रत्येक वर्ग में क्षैतिज रूप से 30 प्रतिशत सीट महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित होगी।
- दिव्यांग प्रवर्ग - ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी, जो म.प्र. के मूल निवासी हैं, उनके लिए शासन के नियमानुसार संबंधित संवर्ग में 5% सीटें आरक्षित रहेंगी। यह आरक्षण क्षैतिज होगा।
- शासकीय सेवारत विभागीय कर्मचारियों हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल सीटों की 10% सीटें आरक्षित रहेंगी।
- यह पैरामेडिकल पाठ्यक्रम केवल सत्र 2025-26 एवं पूर्व में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए छात्रों के लिए ही मान्य होगा।

III. प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक शुल्क का विवरण :-

सं. क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	सुरक्षा निधि (रु)	वार्षिक शिक्षण शुल्क (रु)	कुल शुल्क (रु)
1.	प्रमाण पत्र (1 वर्षीय)	5000.00	42860.00	47860.00

- शैक्षणिक शुल्क में शासकीय नियमानुसार वृद्धि की जा सकती है।

IV. शैक्षणिक योग्यता :-

- सर्टिफिकेट कोर्स के लिए उम्मीदवार को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान (पीसीबी) में न्यूनतम 40% प्रतिशत अंकों के साथ 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। एससी/ एसटी/ ओबीसी उम्मीदवारों के मामलों में उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 5% अंकों की छूट दी जाएगी।

(The candidate must have passed 10+2 with at least 40% marks in aggregate of Physics, Chemistry and Biology (PCB) for Certificate course. In case of SC/ST/OBC candidates, 5% marks relaxation will be given for the admission in above said course.)

- अन्य नियम एवं शर्तें :-

- आवेदन शुल्क :- आवेदक को आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क के रूप में अनारक्षित वर्ग (OBC-CREAMY LAYER/ UR) के अभ्यर्थियों के लिए रु. 500/- (पाँच सौ रुपये मात्र) तथा आरक्षित वर्ग (OBC- NON CREAMY LAYER/ EWS/ SC/ ST) रु. 300/- (तीन सौ रुपये मात्र) का ऑनलाईन/बैंक ड्राफ्ट जो कि "NEW GOVT. MEDICAL COLLEGE SHAHDOL AUTONOMOUS SOCIETY" के नाम देय होगा, एवं महाविद्यालय में आकर ऑनलाईन के माध्यम से भी जमा किया जा सकता है। बिना आवेदन शुल्क के प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- आवेदन पत्र सीधे अथवा स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से कार्यालय अधिष्ठाता, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल में दिनांक 25/05/2026 सायं 05 बजे तक जमा किये जा सकेंगे। निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात स्पीड पोस्ट डाक से प्राप्त आवेदन एवं जमा किये गये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

3. आवेदक की आयु 31 दिसम्बर 2025 को 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु महिलाओं एवं निःशक्तजनों को आरक्षण का लाभ म.प्र. शासन के नियमानुसार दिनांक 10 मई 2024 को प्रकाशित म.प्र. राजपत्र (असाधारण) के अनुसार देय होगा।
4. आरक्षित वर्ग के आवेदकों को काउंसिलिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. आवेदक को म.प्र. का मूल निवासी होना चाहिए। काउंसिलिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. काउंसिलिंग में उपस्थित होने के लिये किसी भी प्रकार का दैनिक भत्ता/ यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
7. आवेदक को काउंसिलिंग में उपस्थिति होने के लिये रु. 5000/- (पांच हजार रुपये मात्र) का ऑनलाईन/ बैंक ड्राफ्ट जो कि "NEW GOVT. MEDICAL COLLEGE SHAHDOL AUTONOMOUS SOCIETY" के नाम देय हो एवं महाविद्यालय में ऑनलाईन के माध्यम से भी जमा कि जा सकता है) जमा करना अनिवार्य होगा। ड्राफ्ट के अभाव में आवेदक काउंसिलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। सीट आवंटन के पश्चात शेष शैक्षणिक शुल्क 02 दिवस के भीतर ऑनलाईन के माध्यम से जमा करना होगा अन्यथा की स्थिति में उनका प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा तथा जमा की गई राशि रु. 5000/- (पांच हजार रुपये मात्र) वापस नहीं की जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से आवेदक की होगी। (चेक किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा)
8. पाठ्यक्रम के लिये एक ही आवेदन-पत्र, जिसका प्रारूप दिया गया है, देय होगा। पाठ्यक्रम का आवंटन आवेदक के हायर सेकण्ड्री (10+2) के कुल प्राप्त अंक की मैरिट के अनुसार वर्ग में उपलब्ध सीटों पर काउंसिलिंग के द्वारा किया जावेगा। अंक समान होने की स्थिति में वरीयता क्रम में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान में अधिक अंक रखने वाले का वरीयता दी जाएगी। यदि अंक समान पायी जाती है तो उम्र में वरिष्ठ आवेदक को वरीयता दी जायेगी।
9. बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म0प्र0) के अन्तर्गत पैरामेडिकल पाठ्यक्रम नियमित एवं पूर्णकालिक है। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययन करने की पात्रता नहीं होगी। इस आशय का शपथ-पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए म.प्र. राज्य के मूलनिवासी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, सीट रिक्त होने की स्थिति में अन्य राज्य के आवेदकों को उनकी योग्यता/ मैरिट लिस्ट के अनुसार श्रेणीवार प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ केवल म.प्र. राज्य के मूल निवासी आवेदकों को ही दिया जाएगा।
11. विभागीय कर्मचारियों के लिये शासन के नियमानुसार 10 सीटें आरक्षित रहेंगी तथा सीटों का आवंटन 12वीं के अंको की मैरिट के आधार पर किया जावेगा। विभागीय कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र केवल संचालक स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल/ संबंधित संस्था के संस्था प्रमुख का ही मान्य होगा। विभागीय कर्मचारी न होने पर उक्त आरक्षित सीटें संबंधित वर्ग के पात्र आवेदकों से भरी जायेंगी। निम्नलिखित अनुक्रम में श्रेणी के अनुसार मैरिट-कम-आप्शन के आधार पर काउंसिलिंग की जायेगी :-
1. एस.टी.श्रेणी 2. एस.सी.श्रेणी 3. ओ.बी.सी.श्रेणी 4. ई0डबलू0एस 5. अनारक्षित श्रेणी
13. यदि किसी श्रेणी में आरक्षण की सीमा तक योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं हैं, तो रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में उपलब्ध कराकर भरा जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है :-
a) एस.टी. श्रेणी की खाली सीटों को एस.सी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।
b) एस.सी. श्रेणी की खाली सीटों को एस.टी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।
c) अगर एस.टी. और एस.सी. श्रेणी में आरक्षण के लिए योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं हैं तो रिक्त सीटों को ओ.बी.सी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।
d) यदि पात्र आवेदक उपरोक्त तरीके से तीन आरक्षित श्रेणियों में ऊपर के चरणों में उपलब्ध नहीं हैं तो रिक्त सीटों को पात्र अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।
14. पाठ्यक्रम में 05 से कम छात्र प्रवेश लेते हैं, ऐसे पाठ्यक्रम को संचालित करना संभव नहीं होगा। ऐसे छात्र अपनी जमा शुल्क वापस ले सकते हैं विज्ञप्ति सीटों की संख्या परिस्थितियों के अनुसार घटाई जा सकती है जिसका पूर्ण अधिकार संस्था को होगा।
15. न्यायालयीन परिवादों के निराकरण का कार्यक्षेत्र जिला न्यायालय शहडोल होगा।
16. प्रवेश के समय स्थानान्तरण एवं माइग्रेशन प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करना अनिवार्य होगा। मूल स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र तथा माइग्रेशन प्रमाण-पत्र के अभाव में प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा तथा काउंसिलिंग के समय जमा राशि रु. 5,000/- (पांच हजार) मात्र वापिस नहीं की जावेगी। छात्रों को एम0पी0 पैरामेडिकल कौंसिल/ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क, नामांकन शुल्क एवं संस्था द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शुल्क पृथक से देय होगा।

17. प्रवेश के समय आरक्षित वर्ग के आवेदकों को अभिभावक के आय प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई हो जमा करना अनिवार्य होगा।

18. काउंसिलिंग दिनांक को समस्त उम्मीदवारों को प्रातः 10:00 बजे निम्न दस्तावेजों की मूलप्रति तथा 02 सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति, 20 पासपोर्ट साइज फोटो एवं 01 पोस्टकार्ड साइज फोटो (जो आवेदन पत्र में चस्पा की गई हो) लाना अनिवार्य होगा। किसी भी दस्तावेज की मूलप्रति न होने पर काउंसिलिंग प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार प्रवेश समिति को रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से उम्मीदवार की होगी।

19. काउंसिलिंग के दौरान कोर्स आवंटित होने के उपरांत अगले दिनांक को कॉलेज में उपस्थित होकर ऑनलाइन एडमिशन कराना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन एडमिशन के समय उपस्थित न होने के दशा में एडमिशन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

नोट :-

- आवेदन प्रारम्भ की तिथि :- 14.05.2026
- आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि :- 25.05.2026 (शाम 05:00 बजे तक)
- काउंसिलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन :- प्रातः 28.05.2026 (10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक)
- सीट आवंटन की तिथि :- 29.05.2026 (प्रातः 11:00 बजे समस्त अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है।)
- ऑनलाईन पोर्टल पर प्रवेश की तिथि :- दिनांक 30.05.2026 से 05.06.2026 (11:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक)

दस्तावेजों की सूची :-

1. 10वीं की अंकसूची (जन्मतिथि प्रमाण हेतु) तथा प्रमाण पत्र
2. 12वीं की अंकसूची (भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान विषय के साथ) तथा प्रमाण पत्र।
(यह पैरामेडिकल पाठ्यक्रम केवल सत्र 2025-26 एवं पूर्व में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए छात्रों के लिए ही मान्य होगा।)
3. एक वर्षीय पाठ्यक्रम/ डिप्लोमा/ स्नातक/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अंकसूची (यदि लागू होतो)
4. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र।
5. मइग्रेसन प्रमाण पत्र।
6. निवास प्रमाण पत्र।
7. एस0टी0/ एस0सी0/ ओ0बी0सी0 वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र।
(वित्तीय वर्ष 2025-26 का)।
8. ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ आय प्रमाण पत्र।
(वित्तीय वर्ष 2025-26 का)।
9. आई0डी0 प्रूफ (आधार कार्ड/ पैन कार्ड / ड्राईविंग लायसेंस/ वोटर आई0डी) की रंगीन छायाप्रति।
10. दिव्यांग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
11. पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो। (कुल-20)
12. पोस्टकार्ड साइज फोटो। (कुल-01)
13. विभागीय कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
(संलग्न :- आवेदन-पत्र का प्रारूप)

अधिष्ठाता

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म0प्र0)

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हेतु आवेदन पत्र शैक्षणिक सत्र: 2025-26

प्रति,

अधिष्ठाता,

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.)

आनलाईन द्राजेशन न./ डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रमांक	दिनांक	बैंक का नाम	राशि

नवीन पासपोर्ट
साइज फोटो चस्पा
करें

1. Candidate's Name in Capital Letter:
आवेदक का नाम स्पष्ट अक्षरों में (हिन्दी में) : -----
2. लिंग (पु./म.) : -----
3. Category /श्रेणी/ : (SC/ST/OBC/ UR/EWS)-----
4. Father's Name in Capital Letter: Shri
पिता का नाम (हिन्दी में) : श्री -----
5. Mother's Name in Capital Letter: Smt.
माता का नाम (हिन्दी में) : श्रीमती -----
6. जन्म तिथि Date of Birth / : अंको में : -----(dd/mm/yyyy)
शब्दों में : -----
7. Permanent full address in capital letter : -----
----- Pin Code : -----
पूर्ण स्थाई पता (हिन्दी में) : -----
----- पिन कोड : -----
8. वर्तमान पता पिन कोड सहित : -----
----- पिन कोड : -----
9. आवेदक का मोबाइल नम्बर. : ----- समय आई.डी -----
10. ई-मेल आई.डी. : -----
11. आवेदक का आधार कार्ड नं. :-----
12. क्या आवेदक म.प्र. का मूल निवासी है ? : -----(हां/नहीं) यदि नहीं तो राज्य का नाम: -----
13. क्या आवेदक शासकीय सेवारत कर्मचारी है ? : ----- (हां/नहीं) यदि हाँ तो विभाग का नाम :-----

14. शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification):

Exam Passed	Board	Roll No.	Passing Year	Subjects	Total Marks	Out of Marks	Percentage
1	2	3	4	5	6	7	8
12 th				Physics			
				Chemistry			
				Biology			
				Total (PCB)			
				Total (All Subject)			

15. निम्नांकित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें :-

क्र.	दस्तावेजों का विवरण	सत्यापन (हां/नहीं/लागू नहीं)			
		अभ्यर्थी द्वारा	स्कूटिनी समिति द्वारा	प्रवेश समिति द्वारा (मूल दस्तावेज)	टिप्पणी
1.	आवेदन शुल्क - ऑनलाईन/ डिमाण्ड ड्राफ्ट				
2.	10वीं बोर्ड परीक्षा अंकसूची				
3.	12वीं बोर्ड परीक्षा अंकसूची				
4.	स्नातकोत्तर/स्नातक/डिप्लोमा/डिग्री (यदि लागू होतो)				
5.	स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (T.C.) एवं चरित्र प्रमाण पत्र				
6.	माइग्रेशन प्रमाण पत्र(बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी)				
7.	आई0डी0 प्रूफ (आधार/पैन/वोटर/ड्राईविंग)				
8.	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. के मूल/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र				
9.	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/ ई. डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र (आरक्षित संवर्ग हेतु)				
10.	वर्तमान वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु)				
11.	दिव्यांग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र				
12.	Gap Certificate (यदि वर्ष 2025 से पहले 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की है)				
13.	मूल नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (सेवारत अभ्यर्थी हेतु)				

// घोषणा-पत्र //

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन-पत्र में दी गई क्र. 01 से 13 तक की समस्त जानकारी एवं संलग्न दस्तावेज पूर्णतः सत्य है। सत्यापन पश्चात् दी गई जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाए जाने पर मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही इस संस्था में प्रवेश के पश्चात् पाठ्यक्रम अवधि तक अन्य किसी संस्था/ विश्वविद्यालय में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लूंगा/लूंगी और न ही अन्य संस्था से शासन द्वारा किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त करूंगा। यदि मेरे द्वारा ऐसा किया जाता है, तो मेरे खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है एवं प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा, जिसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

.....

(कार्यालयीन उपयोग हेतु)

हस्ताक्षर स्क्रूटिनी समिति :-

1.

2.....

3.....

हस्ताक्षर प्रवेश समिति :-

1.

2.

3.

4.